न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

26 / 2025

सीता देवी पत्नी भंवरलाल गर्ग निवासी रोपां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा पिन 311202

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 01.05.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 13.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

1 मालपुरा शहरी नरेगा योजना 2022 से 30 / 12 / 2024 तक की (या 2022 से जहा तक हो) बिल बाउचर की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

2 मालपुरा नगरपालिका में 1.01.2020 से आज दिनांक तक 2.12.2024 तक कितने आवासीय पट्टे जारी किये गये। प्रत्येक का नाम

3 1.01.2020 से 2.12.2024 तक में कितने आवासीय पट्टे रोके गये प्रत्येक पट्टे का नाम व पता बताने का कष्ट करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 424 दिनांक 24.03.2025 व 520 दिनांक 8.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 406 दिनांक 17.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा को कार्यालय के पत्र क्रमांक 142 दिनांक 27.01.2025 से अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को पत्र क्रमांक 143—45 दिनांक 27.01.2025 से सूचित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के प्रथम अपीलेट अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नही है। अपीलान्ट लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मालपुरा द्वारा सूचना नही दिये जाने की स्थिति में उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)